बूंदी में राष्ट्रीय वयोश्री और एडीआईपी योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के मुफ़्त वितरण के अवसर पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के उपयोग के लिए भाषण

यहां उपस्थित विशिष्ट जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के पदाधिकारी, मीडिया के प्रतिनिधि, शिविर में भाग ले रहे वरिष्ठ नागरिको, दिव्यांग भाइयो और बहनो तथा देवियो और सज्जनो:

मुझे इस विशेष अवसर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में आप सभी के बीच उपस्थित होकर बेहद खुशी हो रही है। यह आयोजन भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए किया गया है। मैं इसके लिए एलिम्को का आभारी हूं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पिछले अनेक वर्षों से अपने अथक प्रयासों से, एलिम्को अस्पतालों और कल्याण कार्य में जुटे अन्य संगठनों को यथाशक्ति लाभ पहुंचा रहा है। यह कृत्रिम अंग और अन्य रिहैबिलिटेशन उपकरण विकसित कर रहा है, उनका विनिर्माण कर रहा है तथा सस्ती दर पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके प्रयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा दे रहा है।

मित्रो, हमारे देश में 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांगजन हैं, जो कुल आबादी का 2.21% हैं। दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या में से लगभग एक करोड़ पचास लाख पुरुष और एक करोड़ अठारह लाख महिलाएं हैं। 82 लाख दिव्यांगजन शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और एक करोड़ 86 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मुझे बताया गया है कि एडीआईपी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत कोटा जिले के इटावा ब्लाक में आयोजित एक जाँच शिविर में 176 लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें एडीआईपी योजना के लिए 118 लाभार्थी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए 58 लाभार्थी शामिल थे। दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को 25 लाख 37 हजार रुपए के 24 प्रकार के 591 उपकरण वितरित किए जाने थे। इन सहायक उपकरणों को वितरण शिविर में लाया जाता है और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों को वितरित किया जाता है।

मित्रो, जहां कोविड-19 पूरी आबादी को प्रभावित कर रहा है, वहीं दिव्यांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक अपनी शारीरिक, मस्तिष्क- संबंधी और ज्ञान- संबंधी सीमाओं के कारण इस बीमारी से अधिक प्रभावित हुए हैं।

इसलिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, दैनिक जीवन की गतिविधियों को समझने और जोखिम की स्थितियों के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय पर उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

मित्रो, विकलांग व्यक्तियों को उन बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिनके कारण वे दूसरों की तरह अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते, जो उनकी गरिमा का उल्लंघन है। इसलिए इन बाधाओं पर विशेष रुप से ध्यान देना जरूरी है जो समाज में दिव्यांग जनों की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी को रोकती हैं या बाधित करती हैं। आज दिव्यांगजनों को हमारे समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह भी स्वीकार किया जाने लगा है कि उनके प्रति समाज के नजरिए और अपेक्षित संवेदनशीलता के अभाव के कारण उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मानवाधिकार मॉडल पर आधारित नीतियों ने समाज में ऐसी बाधाओं की पहचान करने में मदद की है, जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को प्रतिबंधित किया है। इसने विकलांगता की धारणा और इसके प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है।

प्रिय साथियो, भारत का संविधान सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान में निहित प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार राज्य की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन प्रावधानों में वंचित समूहों की स्थिति सुधारने की दिशा में राज्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 14 में विशेष उपाय किए जाने का प्रावधान है, ताकि दिव्यांग व्यक्ति सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर सकें। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा के अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।" अनुच्छेद 46 में, विशेष रूप से, कहा गया है कि, "राज्य कमजोर वर्गों के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देते हुए बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।" अनुच्छेद 37 में, संविधान स्पष्ट करता है कि देश के शासन मे नीति निदेशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इन दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति नीति आयोजना का एक अभिन्न अंग हैं।

भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनसीआरपीडी) पर हस्ताक्षर किए हैं और 1 अक्टूबर, 2007 को इसकी पुष्टि की थी। भारत सरकार ने यूएनसीआरपीडी की भावना के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निःशक्तता के आधार पर भेदभाव न करने, कानून के समक्ष समानता, न्याय तक पहुंच, एक बाधामुक्त परिवेश तैयार करना, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुगम हो, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, खेल गतिविधियों, आदि को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इस अधिनियम के तहत सरकार को यह अधिदेश मिला है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये कि दिव्यांग व्यक्ति अन्य लोगों के समान ही अपने अधिकारों का उपयोग करें।

मित्रो, किसी व्यक्ति की अक्षमता का कारण उसकी शारीरिक सीमाएं और दुर्बलताएं ही नहीं होती हैं, बल्कि यह हमारे समाज की सोच के ऊपर भी निर्भर करता है। इसके लिए सुविधाओं और अवसरों तक सभी की समान पहुँच को मूलभूत आवश्यकता के रूप में मान्यता देना आवश्यक है और इस दिशा में पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर, दिव्यांग लोगों को समाज में मिलने वाली सभी सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। मनुष्य के रूप में, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास सेवाओं और रोजगार के अलावा, सभी दिव्यांग लोगों को एक ऐसे सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है जहां सुविधाओं और सेवाओं तक उनकी सुगम पहुँच हो और जो उनके लिए गरिमापूर्ण और सम्मानजनक हो। मनुष्य के रूप में हमें सभी मनुष्यों के बीच मौजूद भिन्नताओ का उचित सम्मान करते हुए उनकी देखभाल करना सीखना होगा।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच मिले और इस दिशा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हमें काम करना होगा ताकि वे अपने मानवाधिकरों का उपयोग कर सकें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। समान पहुंच का प्रावधान होने से फिजिकल एनवायरनमेंट, परिवहन, सूचना और संचार सब तक पहुंच सुनिश्चित होगी। सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित होने से दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार पाने और भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक और आर्थिक जीवन से पूरी तरह से जुड़ने के अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी।

मुझे उम्मीद है कि *एलिम्को* वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करना जारी रखेगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर आयोजकों को उनकी शानदार पहल के लिए बधाई देता हूं और उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद।